सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 07/2013

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –गोहाना

1. श्री लालसिंह पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह आयु 45 वर्ष
2. श्री संतोष सिंह पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह आयु 36 वर्ष
3. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री लाडूसिंह आयु 50 वर्ष
4. श्रीमती कंवरी पत्नि स्व. श्री लाडूसिंह आयु 75 वर्ष
5. श्री छोगासिंह पुत्र स्व. श्री पूनाजी आयु 65 वर्ष
6. श्री कल्याणसिंह पुत्र स्व. श्री पूनाजी आयु 59 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

––––––वादीगण

ब नाम

1. श्री सिकन्दर पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 22 वर्ष
2. श्रीमती प्रेमी पत्नि स्व. श्री गोमाजी पुत्रवधु स्व. श्री उजीरा आयु 22 वर्ष
3. श्री सद्दाम पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 16 वर्ष
4. श्री साकिर पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 14 वर्ष
5. श्री सुलेमान पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 12 वर्ष

   क्रमांक 3 लगायत 5 नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती प्रेमी
6. सुश्री अमीना पुत्री स्व. श्री गोमाजी पौत्री स्व. श्री उजीरा आयु 21 वर्ष
7. सुश्री अमीदा पुत्री स्व. श्री गोमाजी पौत्री स्व. श्री उजीरा आयु 18 वर्ष
8. श्री किशना पुत्र स्व. श्री उजीरा आयु 55 वर्ष
9. श्रीमती बन्नी पुत्री स्व. श्री उजीरा आयु 60 वर्ष
10. श्रीमती नजामी पत्नि स्व. श्री लाडू आयु 60 वर्ष
11. श्री मिश्रु पुत्र स्व. श्री लाडू आयु 33 वर्ष
12. श्री जलाल पुत्र स्व. श्री लाडू आयु 30 वर्ष

    समस्त जातियान मेरात निवासियान रामा ठाकर का बाड़िया ग्राम बोरवा (बन्दिया बोरवा) तहसील भीम जिला अजमेर
13. श्री वजीर सिंह पुत्र स्व. श्री चतरसिंह आयु 80 वर्ष
14. श्री गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 72 वर्ष
15. श्री बन्नासिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 58 वर्ष
16. श्री बाबूसिंह पुत्र स्व श्री दीपा आयु 50 वर्ष
17. श्री सोहनसिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 45 वर्ष
18. श्रीमती गेन्दी जोजे श्री छोगसिंह आयु 60 वर्ष

    क्रमांक लगायत 18 जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
19. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, ब्यावर
20. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील ब्यावर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट गोहाना में पेश हुआ। प्रकरण में वादीगण ने सारांशतः निवेदन किया है कि वादीगण की खरीदशुदा कृषि भूमि ग्राम गोहाना के आराजी खसरा संख्या 1644 रकबा 01–07–10 किस्म बा.1, 1645 रकबा 01–07–00 किस्म बा.1, 1647 रकबा 01–07–00 किस्म बा.1, 1653 रकबा 01–07–00 किस्म बा.1 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–08–10 तथा खसरा संख्या 639 रकबा 01–18–00 किस्म ता.1, 640 रकबा 01–17–10 किस्म ता.1, 641 रकबा 01–17–00 किस्म ता.1, 642 रकबा 01–18–00 किस्म ता.1 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 07–10–10 स्थित है। उक्त आराजियात में से खसरा संख्या 640 व खसरा संख्या 1653 को वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा।

....................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

वादी संख्या 1 लगायत 4 स्व. श्री लाडू पुत्र पूना के जीवित वारिसान है एवं वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 640 व 1653 को स्व. श्री लाडू पुत्र श्री पूना ने व वादी संख्या 5 लगायत 6 ने स्व. श्री उजीरा से दिनांक 30.06.1976 को बएवज़ मुबलिग रूपये 5000/– में खरीद कर उक्त वादग्रस्त आराजियात जो कि स्व. श्री उजीरा के हिस्से में जरिये बाहमी बंटवारे में आयी थी और उपरोक्त आराजियात का खसरा संख्या 640 व 1653 का रकबा क्रमशः 01–17–10 एवं 01–07–00 है जो कि कुल मिलाकर 03–04–10 आता है जिसका कब्जा बरोज बेचान वादी को संभला दिया गया जिस पर वादीगण आज तक कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि वादी ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने से कानून की जानकारी के अभाव में उक्त भूमियां खरीदने के बाद राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करवाना जानते नहीं थे इसलिए आराजियात जो कि प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिसका बेजा फायदा उठाकर अन्यत्र बेचान करने पर व खुर्दबुर्द करने पर आमादा है वादीगण ने दिनांक 23.12.2012, 26.12.2012, 29.12.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के कृत्ये के कारण वाद कारण दिनप्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 को दिनांक 29.12.2012 को उनके ग्राम जाकर निवेदन किया उक्त आराजियात का नाम वादीगण के नाम अंकित करवा दें परन्तु वे साफ इंकार हो गये, इस कारण वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 के भाग (क) में अंकित खसरा संख्या 1653 व भाग (ख) के खसरा संख्या 640 की आराजी कृषि भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम अंकन करने का आदेश पारित फरमावे एवं प्रवितादी संख्या 1 से 9 के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित करवा राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द नहीं करें एवं स्वयं के अवैध रूप से दर्ज हुए नाम के अंकन का फायदा उठाकर बेचान, हस्तांन्तरण आदि नहीं करें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7, 10 से 15, 17 व 18 बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8 व 9 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादीगण ने जानबूझकर खसरा संख्या 640 व 1653 को विवादग्रस्त बतलाया है। इन खसरान पर वादीगण का पिछले 100 सालों में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं यह भूमियां प्रतिवादीगण की पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा काश्त में व खातेदारी में चली आ रही है। वादीगण के बाद में प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 30.06.1976 बेचाननामा झूंठा, फर्जी, जालसाजी से तैयार किया गया दस्तावेज हैं, जिससे प्रतिवादीगण कत्तई कोई संबंध सरोकार नहीं है। दिनांक 26.12.2012 को प्रतिवादी संख्या 2, 8, 9 की मुलाकात वादीगण से नहीं हुई तथा शेष प्रतिवादीगण महिलाएं जिनकी उम्र अधिक है एवं उनके द्वारा धमकी देने के कथन झूंठे हैं। वादीगण को धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से, प्रतिकूल कब्जा के सिद्धान्त पर एवं झूंठे काल्पनिक तथ्य होने के कारण खारिज़ होने योग्य है जो निरस्त फरमाया जावे तथा काउन्टर क्लेम के तहत प्रतिवादीगण के पक्ष में विरूद्ध वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमावें कि काउन्टर क्लेम में वर्णित भूमि ख.नं. 641 व 1653 का उपयोग व उपभोग प्रतिवादीगण पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे उसमें वादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। अन्य अनुतोष जो काउन्टर क्लेम की परिस्थिति के अनुसार प्रतिवादीगण के हक में हो वादीगण से दिलवाया जावे।

.........लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 16 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को मज़में आम में सुना गया। प्रतिवादी संख्या 16 ने रूबरू मोतबिरान कथन किए कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खरीदशुदा आराजी हैं एवं उक्त आराजी पर वादीगण का नाम उनके बेचाननामें अनुसार होना चाहिये तथा वादीगण ने वाद स्वीकार किये जाने के कथन बहस में किए।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादीगण ने नोटेरी द्वारा प्रमाणित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30–06–1976 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उजीरा वल्द शेरा कोम रावत ने राशि रू. 5000/– प्राप्त कर खसरा संख्या 640 रकबा 01–17–10, 1653 रकबा 01–07–00 का बेचान श्री लाडू व छोगा कल्याण पिसरान पूना जाति रावतान को किया जाना अंकित है। ग्राम गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 579 में अन्य खसरान् के साथ खसरा संख्या 1653 रकबा 01–07–00 किस्म बारानी 1 दर्ज है जिसमें अन्य सहखातेदारान के साथ लाडू वल्द नाथ मु. झूमी बेवा नाथा किशना गोमा पि. उजीरा नूरी बन्नी पि. उजीरा 1/2 हि. अंकित है एवं इसी जमाबन्दी में जरिए नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 05.12.2012 से किशना गोमा पि. उजीरा नूरी बन्नी पुत्रियां उजीरा के स्थान पर सिकन्दर सद्दाम साकिन सुलेमान पि. गोमा अमीरा हमीदा पुत्रियां गोमा प्रेमी बेवा गोमा किशना पि. उजीरा बन्नी पुत्री उजीरा के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना वर्णित है। इसी प्रकार ग्राम गोहाना की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 120 में अन्य खसरान् व सहखातेदारान के साथ अंकित खसरा संख्या 640 रकबा 01–17–10 किस्म ता.1+, भी उजीरा के वारिसान के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 8 व 9 ने अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30–06–1976 में अकेले उजीरा वल्द शेरा ने खसरा संख्या 640 रकबा 01–17–10, 1653 रकबा 01–07–00 का बेचान वादीगण के पूर्वज लाडू छोगा व कल्याण पिसरान पूना को किया गया है जबकि राजस्व रेकार्ड में उजीरा वल्द शेरा के वारिसान का 1/2 हिस्सा ही दर्ज है एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार उजीरा वल्द शेरा को उनके हिस्से तक की भूमि बेचान किये जाने के अधिकार हासिल थे। सम्पूर्ण खसरा की भूमि को बेचान किये जाने के कोई अधिकार नहीं थे। वादीगण ने बाहमी बंटवारे में उजीरा के हिस्से में वादग्रस्त आराजी होने के कथन किए हैं उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिसे मौखिक कथनों के आधार पर नहीं माना जा सकता है। श्री उजीरा को केवल उसके हक हिस्से तक ही बेचान किये जाने के अधिकार प्राप्त थे।

ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोहाना पटवार हल्का गोहाना के वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 640 रकबा 01–17–10, 1653 रकबा 01–07–00 में वर्तमान जमाबन्दी में उजीरा के हक हिस्से में अंकित उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 8 व 9 का काउन्टर क्लेम खारिज़ किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत् गलत रूप से दर्ज अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप गोहाना में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – गोहाना

राजस्व वाद संख्या 07/2013

1. श्री लालसिंह पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह आयु 45 वर्ष
2. श्री संतोष सिंह पुत्र स्व. श्री लाडूसिंह आयु 36 वर्ष
3. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री लाडूसिंह आयु 50 वर्ष
4. श्रीमती कंवरी पत्नि स्व. श्री लाडूसिंह आयु 75 वर्ष
5. श्री छोगासिंह पुत्र स्व. श्री पूनाजी आयु 65 वर्ष
6. श्री कल्याणसिंह पुत्र स्व. श्री पूनाजी आयु 59 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

——————वादीगण

ब ना म

1. श्री सिकन्दर पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 22 वर्ष
2. श्रीमती प्रेमी पत्नि स्व. श्री गोमाजी पुत्रवधु स्व. श्री उजीरा आयु 22 वर्ष
3. श्री सद्दाम पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 16 वर्ष
4. श्री साकिर पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 14 वर्ष
5. श्री सुलेमान पुत्र स्व. श्री गोमाजी पौत्र स्व. श्री उजीरा आयु 12 वर्ष
   क्रमांक 3 लगायत 5 नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती प्रेमी
6. सुश्री अमीना पुत्री स्व. श्री गोमाजी पौत्री स्व. श्री उजीरा आयु 21 वर्ष
7. सुश्री अमीदा पुत्री स्व. श्री गोमाजी पौत्री स्व. श्री उजीरा आयु 18 वर्ष
8. श्री किशना पुत्र स्व. श्री उजीरा आयु 55 वर्ष
9. श्रीमती बन्नी पुत्री स्व. श्री उजीरा आयु 60 वर्ष
10. श्रीमती नजामी पत्नि स्व. श्री लाडू आयु 60 वर्ष
11. श्री मिश्रु पुत्र स्व. श्री लाडू आयु 33 वर्ष
12. श्री जलाल पुत्र स्व. श्री लाडू आयु 30 वर्ष
    समस्त जातियान मेरात निवासियान रामा ठाकर का बाड़िया ग्राम बोरवा (बन्दिया बोरवा) तहसील भीम जिला अजमेर
13. श्री वजीर सिंह पुत्र स्व. श्री चतरसिंह आयु 80 वर्ष
14. श्री गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 72 वर्ष
15. श्री बन्नासिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 58 वर्ष
16. श्री बाबूसिंह पुत्र स्व श्री दीपा आयु 50 वर्ष
17. श्री सोहनसिंह पुत्र स्व. श्री दीपा आयु 45 वर्ष
18. श्रीमती गेन्दी जोजे श्री छोगसिंह आयु 60 वर्ष
    क्रमांक लगायत 18 जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
19. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, ब्यावर
20. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील ब्यावर

—————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री ओमप्रकाश कटारिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 2, 8, 9 – श्री नन्दकिशोर मिश्रा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.19से20 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **07/2013**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **15.05.2018**

......................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री लालसिंह व अन्य बनाम श्री सिकन्दर व अन्य
राजस्व वाद संख्या 07/2013
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – गोहाना

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गोहाना में पेश हुआ। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 16 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.05.2018 को सुखराम खोखर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट गोहाना में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोहाना पटवार हल्का गोहाना के वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 640 रकबा 01–17–10, 1653 रकबा 01–07–00 में वर्तमान जमाबन्दी में उजीरा के हक हिस्से में अंकित उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 8 व 9 का काउन्टर क्लेम खारिज़ किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत् गलत रूप से दर्ज अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 15.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर